28/2016 जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 28/2016 अनवानी श्री लाभसिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 13डीओएल तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, घडसाना

No.

11-02-2017

A3

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री लाभ सिंह उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री इन्द्राज कुमार लिपिक उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री लाभ सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः-

> 1. ग्रा0पंचायत 13डीओएल में खाद्यय सुरक्षा में पात्र परिवारो की सूची की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 2. सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 तक वितरित गेंहू, केरोसीन, चीनी व अन्य पदार्थो के स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर की की प्रमाणित प्रतिलिपि।
> 3. ग्रा0पंचायत 13 डीओएल में बीपीएल परिवारों को सितम्बर 2015 से नवम्बर 2015 तक वितरणि गेंहू केरोसीन व अन्य पदार्थो के वितरण सामग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी का आवेदन पत्र का संबंध जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से होने के कारण समन्वयक, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 19.01.16 से जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर दिया गया और जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर पत्र दिनांक 21.01.16 से उपखण्ड अधिकारी घड़साना को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए भिजवाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, घड़साना ने अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर भिजवाते हुए प्रति इस कार्यालय को पत्र सं0 1748 दिनांक 1803.16 से प्रस्तुत की हैः-

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत 13 डीओएल के खाद्य सुरक्षा परिवारो की सूचना, सितम्बर 15 से नवम्बर 15 तक वितरित गेहूं, केरोसी व चीनी के स्टॉक रजिस्टरो एवं वितरण रजिस्टरो की प्रमाणित प्रतियां चाही गई है। इस संबंध में लेख है कि सभी योजनाओं के स्टॉक/वितरण रजिस्टर बाबत उपभोक्ता मामलें सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 20.03.2015 जो समस्त भारत में लागू है के खण्ड 10 के उपखण्ड 5 के अनुसारः-
>
> **" किसी भी उचित मुल्य दुकान के स्वामी से अभिलेखों का सारांश अभिप्राप्त करने की वांछा रखने वाले काई भी राशन कार्ड धारक राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फीस जमा कराने के साथ स्वामी को लिखित आवेदन करेगा। उचित मूल्य दुकानदार का स्वामी राशन कार्ड धारक को अभिलेखो के ऐसे सारांश आवेदन और राज्य और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट फीस प्राप्त करने की तारीख से 14 दिन के भीतर प्रदान करेगा।"**
>
> अतः आप द्वारा स्वंय के राशनकार्ड धारक होने का कोई साक्ष्य या राशनकार्ड की प्रति संलग्न नही की है। ऐसी सूरत में आपको उक्त रिकार्ड की प्रतियां उपलब्ध नही करवाई जा सकती है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P.T.O.

Web Copy - Not Official

उक्त प्रतिवेदन के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को उक्तानुसार उत्तर दिया जा चुका है। अपीलार्थी यदि किसी निश्चित अभिलेख की सूचना लेना चाहे तो वह उपलब्ध रिकार्ड का नियमानुसार निरीक्षण कर उसमें से जो भी सूचना लेना चाहे, लोक सूचना अधिकारी उसका सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार निस्तारण करे।

उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना को निदेशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रो का समय अवधि में ही नियमानुसार निस्तारण किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, घड़साना को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानो राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर